पत्र सं०–6 एस०एस०(6)35 / 2022– 962 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 23 / 02 / 2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 825.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम को राज्य में कार्यान्वित करने की योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 825.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम को राज्य में कार्यान्वित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं ''ग'' एवं अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। Lumpy Skin Disease (LSD) पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग में पशुओं को ज्वर हो जाता है एवं पूरे शरीर में त्वचा पर बड़ी–बड़ी गाँठें बन जाती हैं। इसके दर्द से पशु बेहाल रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन घट जाता है। श्रमिक पशुओं की कार्य क्षमता घट जाती है। LSD के प्रकोप से पशुपालकों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रायोजित योजना–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP) के तहत Assistance to States for Control of Animal Diseases (ASCAD) योजनान्तर्गत Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। LSD टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग का नियंत्रण करना है।

3. पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–574 (नि०), दिनांक–10.02.2025 के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना–पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DCP) अन्तर्गत ASCAD के तहत Lumpy

Typed by Sanjay Kumar

Skin Disease (LSD) टीकाकरण को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

4. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०–K-11053(5311)/1/2017-LH, दिनांक–04.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु रुपये 1849.23 लाख (केन्द्रांश रुपये 1130.66 लाख एवं राज्यांश रुपये 731.37 लाख) की लागत पर ASCAD हेतु वार्षिक कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें 121.87 लाख खुराक LSD टीकाकरण हेतु केन्द्रांश के रूप में टीकौषधि के क्रय के लिए रुपये 383.89 लाख एवं टीकाकरण कार्य के लिए रुपये 219.37 लाख अर्थात कुल रुपये 603.26 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र D.O. No. - K-11/77/2022-LH, दिनांक–03.10.2022 के द्वारा Lumpy Skin Disease (LSD) टीकाकरण हेतु Goat Pox Vaccine के लिए Central Tendering Process के माध्यम से दर रुपये 5.25 (पाँच रुपये पच्चीस पैसे) प्रति खुराक एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में M/s Indian Immunologicals Limited एवं Hester Biosciences Pvt. Ltd. के निर्धारण की सूचना दी गयी है।

6. टीकाकरण कार्य के लिए आवश्यक सिरींज–निड्ल एवं निड्ल के लिए पशुपालन निदेशालय के स्तर से निविदा के माध्यम से दर एवं आपूर्तिकर्ता निर्धारित है।

7. पशुपालन निदेशालय के द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्य योजना एवं भारत सरकार के स्तर से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में ASCAD अन्तर्गत Lumpy Skin Disease (LSD) टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 825.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र का व्यय आकलित किया गया है, जिसमें केन्द्रांश (60 प्रतिशत) के रूप में रुपये 495.00 लाख (चार करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र तथा राज्यांश (40 प्रतिशत) के रूप में रुपये 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) मात्र के व्यय का आकलन किया गया है। Lumpy Skin Disease (LSD) टीकाकरण के लिए विभिन्न कार्यों/अवयवों हेतु राशि की गणना निम्नवत् है :–

क्र० सं०	**अवयव**	**राशि की गणना**				
		इकाई	**दर**	**कुल व्यय**	**केन्द्रांश (60%)**	**राज्यांश (40%)**
1.	LSD टीकौषधि का क्रय	100 लाख खुराक	रुपये 5.25 प्रति खुराक	525.00	315.00	210.00
2.	टीकाकरण पर व्यय	100 लाख खुराक	रुपये 3.00 प्रति खुराक	300.00	180.00	120.00
	कुल :–	-		**825.00**	**495.00**	**330.00**

Typed by Sanjay Kumar

केन्द्रांश एवं राज्यांश के तहत 3106 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष से राशि का व्यय प्रस्तावित है। योजना की विस्तृत अनुमानित कार्य मदवार/कार्यो की व्यय विवरणी (अनुलग्नक–1) के रूप में संलग्न है।

8. Lumpy Skin Disease (LSD) टीकाकरण कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रस्तावित राशि का व्यय टीकौषधि एवं सिरींज–निड्ल/निड्ल का क्रय, कोल्ड चेन संधारण, टीकाकर्मियों का पहचान पत्र, टीकाकरण पंजी, लेखन सामग्री, बैनर, राज्य मुख्यालय/जिला स्तर/पशु स्वा० उत्पा० सं० हेतु कार्यालय व्यय, सहायक औषधि, Cotton, Disinfectant etc., Surgical gloves, Equipment for sample collection and Chemicals, Transportation etc., वाहन का ईंधन इत्यादि पर किया जाना है।

9. Lumpy Skin Disease (LSD) टीकाकरण कार्यक्रम हेतु टीकाकर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इस हेतु राज्य स्कीम के तहत "पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" से पृथक योजना का सूत्रण किया जायेगा।

10. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No.-1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F No.-1(27)/PFMS/ 2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र संख्या–e.gov/PFMS-05/2023-398, दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

S. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
1	01585501130	BR232-BR LIVESTOCK HEALTH AND DISEASE CONTROL PROGRAMME CSS-ASCAD VACCINATION (4123)	GOBHSPARSHLHDCPASCADVACC

11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–410/वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें अंकित है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HOA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तान्तरित किया जाना है। वित्त विभागीय उक्त पत्र के

आलोक में प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभिन्न घटकों एवं विषय शीर्षों के तहत राज्यांश की राशि को संगत केन्द्रांश के समरूप घटक/विषय शीर्ष में जोड़ते हुए योजना की स्वीकृति एवं तदनुसार योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है।

12. वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" के तहत केन्द्रांश तथा राज्यांश के विभिन्न विपत्र कोड अन्तर्गत 3106 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) की घटकवार एवं विषयशीर्ष–वार व्यय विवरणी–"क", "ख" एवं "ग" संलग्न है।

13. वित्तीय वर्ष 2025–26 इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि किया जायेगा।

(I) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0201 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403001010201, पी०एफ०एम०एस० कोड–4123.

(II) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0206 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403007890206, पी०एफ० एम०एस० कोड–4123.

(III) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0228 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403007960228, पी०एफ०एम०एस० कोड–4123.

14. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

16. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के व्यय के उपरान्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला

पशुपालन पदाधिकारी, बिहार द्वारा संगत प्रावधानों के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. प्रस्तावित Lumpy Skin Disease (LSD) रोग विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा विभाग की सहमति से विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

18. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/ 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

19. दिनांक–10.02.2026 को सम्पन्न बैठक में स्थायी वित्त समिति द्वारा इस योजना की स्वीकृति चालू स्कीम के रूप में प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2022 के पृष्ठ 300–299/प०.

20. यह एक चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2022 के पृष्ठ–131/टि० पर एवं दिनांक–13.02.2026.

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2022 के पृष्ठ–131/टि० एवं डायरी संख्या–112, दिनांक–10.02.2026.

22. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 –962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Typed by Sanjay Kumar

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 962 /पटना–15, दिनांक– 23/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

(सामान्य घटक– विपत्र कोड 02–2403001010201, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0201.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	617.11	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/ विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**617.11**		

(रुपये छः करोड़ सत्रह लाख ग्यारह हजार मात्र)

962
23/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

Typed by Sanjay Kumar

<u>**व्यय विवरणी–"ख"**</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

(अनु० जातियों के लिए विशेष घटक– विपत्र कोड–02–2403007890206, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0206.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	136.94	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/ विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**136.94**		

(रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

962
23/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

(जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक – विपत्र कोड–02–2403007960228, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0228.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	70.95	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**70.95**		

(रुपये सत्तर लाख पन्चानवे हजार मात्र)

व्यय का सारांश :–

क्र०	**व्यय विवरणी**	**राशि (लाख रुपये में)**
1	व्यय विवरणी–"क"	617.11
2	व्यय विवरणी–"ख"	136.94
3	व्यय विवरणी–"ग"	70.95
	कुल योग :–	**825.00**

(रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

962
23/02/26

20/02

सरकार के संयुक्त सचिव

Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम को राज्य में कार्यान्वित करने की योजना हेतु प्रस्तावित व्यय की कार्य मदवार/कार्यो की विवरणी।

क्र0	कार्य मद	प्रस्तावित राशि की गणना (अनुमानित)					
		कार्यो की विवरणी	दर	कुल राशि	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	कुल (केन्द्रांश + राज्यांश)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम हेतु टीकौषधि**	टीकौषधि का क्रय	Rs. 5.25/dose (for 100.00 lakh doses)	5,25,00,000	3,15,00,000	2,10,00,000	5,25,00,000
2	**Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम हेतु सहायक उपस्कर (Accesories) आदि**	कोल्ड चेन संधारण	Rs 0.20 per dose (for 100.00 lakh doses)	20,00,000	12,00,000	8,00,000	20,00,000
		टीकाकर्मियों का पहचान पत्र, टीकाकरण पंजी, लेखन सामग्री, बैनर, राज्य मुख्यालय/जिला स्तर/पशु स्वा० उत्पा० सं० हेतु कार्यालय व्यय	Lumpsum	83,78,000	50,26,800	33,51,200	83,78,000
		सिरींज–निडिल का क्रय	Rs. 1.53 per syringe-needle (for 10.00 lakh pcs.)	15,30,000	9,18,000	6,12,000	15,30,000
		निडिल का क्रय	Rs. 0.61 per needle (for 90.00 lakh pcs.)	54,90,000	32,94,000	21,96,000	54,90,000
		सहायक औषधि, Cotton, Disinfectant etc.	Rs 0.40 per dose (for 100.00 lakh doses)	40,00,000	24,00,000	16,00,000	40,00,000
		Surgical gloves, Equipment for sample collection and Chemicals, Transportation etc.	Lumpsum	70,00,000	42,00,000	28,00,000	70,00,000
		वाहन का ईंधन	Rs. 200/- per block per day for 15 days i.e. Rs. 3000/- per block for 534 blocks	16,02,000	9,61,200	6,40,800	16,02,000
			कुल योग :–	**8,25,00,000**	**4,95,00,000**	**3,30,00,000**	**8,25,00,000**

उपर्युक्त तालिका के क्र० सं०–2 में अंकित अवयववार व्यय का आकलन अनुमानित है। प्रस्तावित योजनान्तर्गत उक्त कंडिका के विभिन्न अवयवों में से किसी भी अवयव के लिये कर्णांकित राशि को दूसरे अवयव में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा, किन्तु कुल राशि अपरिवर्तित रहेगी।

962
23/02/26
Typed by Sanjay Kumar

सरकार के संयुक्त सचिव